आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3

29.07.17

न्यायालय अपर समाहर्त्ता, अररिया

बटाईदारी अपील वाद सं0 – 09/2007–08

1. लीलानंद दास, पिता–स्व0 तेज नारायण दास
2. रमेश चन्द्र दास, पिता–स्व0 तेज नारायण दास
3. मुन्ना उर्फ सत्यानंद प्रसाद, पिता–स्व0 तेज नारायण दास,

सभी सा0–हरीपुर, थाना–फारबिसगंज, जिला–अररिया – आवेदकगण

बनाम

बैद्यनाथ बहरदार, पिता–स्व0 रामी बहरदार, सा0–डुमरियाँ, थाना–नरपतगंज, जिला–अररिया – विपक्षीगण

आदेश

प्रस्तुत वाद अपीलार्थी लीलानंद दास एवं अन्य, पिता–स्व0 तेज नारायण दास, सा0–हरिपुर, थाना–फारबिसगंज, जिला–अररिया की ओर से वाद सं0 127/1997–98 अंदर धारा 48 ई0बी0टी0 एक्ट में विज्ञ भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, फारबिसगंज के पारित आदेश दिनांक 30.3.2005 के विरूद्ध समाहर्त्ता, अररिया के न्यायालय में दिनांक 12.7.2007 को दाखिल किया गया। इस वाद को समाहर्त्ता, अररिया द्वारा दिनांक 26.9.2007 को विचारार्थ स्वीकृत किया गया तथा विपक्षीगणों को सूचना निर्गत की गई। विपक्षी की ओर से उपस्थित होकर प्रतिउत्तर दाखिल किया गया। तत्पश्चात् इस वाद को विधिवत निष्पादन हेतु समाहर्त्ता, अररिया के आदेश दिनांक 11.8.2015 के क्रम में उप समाहर्त्ता प्रभारी, जिला विधि प्रशाखा, अररिया के पत्रांक 1197/वि0, दिनांक 25.8.2015 द्वारा हस्तांतरित होकर न्यायालय को प्राप्त हुआ।

वादग्रस्त भूमि का विवरण

मौजा	खाता	खेसरा	रकवा
डुमरिया	144	1278	0.72 एकड़

उभय पक्षों के विज्ञ अधिवक्ता को सुना गया। अपीलकर्त्ता के विज्ञ अधिवक्ता का कहना है कि वादग्रस्त भूमि के साथ–साथ अन्य भूमि उनकी खतियानी है, जिसपर वे पूर्वजों के समय से ही दखल काबिज है। विपक्षी द्वारा वाद सं0 127/1997–98 अन्तर्गत धारा 48 ई0बी0टी0 एक्ट के तहत विज्ञ भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, फारबिसगंज के न्यायालय में दाखिल किया गया वादग्रस्त भूमि का 15–16 वर्षों से जोत आवाद करने के आधार

पर झूठा मुकदमा अपीलार्थीगणों के विरूद्ध दाखिल किया गया है। विज्ञ भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, फारबिसगंज द्वारा न तो भूधारी (अपीलार्थी) को कोई सूचना दी गई और न ही भूधारी को कोई जानकारी हुई। भूधारी को सुने बिना बोर्ड का गठन कर एक पक्षीय आदेश पारित किया गया है, जो बिहार काश्तकारी अधिनियम की धारा 48E की उपधारा 7 एवं (i) का उल्लंघन है।

इनका यह भी कहना है कि अपीलार्थी को जब आदेश हो जाने की जानकारी प्राप्त हुई तो उनके द्वारा सच्ची प्रतिलिपि दिनांक 1.6.2007 को प्राप्त किया और श्रीमान् के न्यायालय में अपील दाखिल किया गया है। विज्ञ भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, फारबिसगंज का पारित आदेश नियम के विरूद्ध, एक पक्षीय एवं जायज नहीं है। अपीलार्थी को बिना सुने बोर्ड का गठन किया गया और छः महीने के बाद समझौता बोर्ड से वापस ले लिया गया और तीन गवाहों का एक पक्षीय गवाही ली गई, जो विपक्षी के सगा संबंधी थे। अंतिम आदेश दिनांक 30.3.2005 को अपीलार्थी के विरूद्ध पारित कर दिया गया। जबकि बटाईदारी के मामलें में जबतक बटाईदार का भूधारी से संबंध स्थापित नहीं होगा, तबतक वह बटाईदार के रूप में घोषित नहीं हो सकता।

अतः विज्ञ भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, फारबिसगंज का सम्पूर्ण आदेश नियम के विरूद्ध है, जो खारिज होने योग्य है। जिसे खारिज करने का अनुरोध करते है।

दूसरी ओर विपक्षी के विज्ञ अधिवक्ता का कहना है कि विपक्षी बैद्यनाथ बहरदार द्वारा निम्न न्यायालय में दफा 48ई0 बी0टी0 एक्ट के तहत वाद सं0 127/1997–98 में निम्न भूमि पर बटाईदारी वाद लाया गया था।

मौजा	खाता	खेसरा	रकवा	चौहद्दी
डुमरिया	144	1278	0.72 ए0	उ0–सड़क द0–सड़क पू0–सड़क प0–खेसरा 1280 एवं 1281
	146	1796	0.60 ए0	उ0–खेसरा सं0 1207 द0–खेसरा सं0 1787 पू0–खेसरा सं0 1788 एवं 1789 प0–खेसरा सं0 1795 एवं सड़क

कुल 1.32 एकड़ पर बटाईदारी वाद दायर किया गया। विपक्षी वादग्रस्त भूमि को भूधारी से आधी बटाई पर लेकर जोत–आवाद करते हुए खास दखल काबिज रहे तथा प्रचलन के अनुसार फसल बाँटकर जमीन मालिक को देते रहे। भूधारी द्वारा जब उन्हें भूमि से बेदखल करने की बात कही गई तो विपक्षी द्वारा दफा 48ई0 बी0टी0 एक्ट के तहत भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, फारबिसगंज के न्यायालय में बटाईदारी वाद सं0 127/97–98 लाया गया। भूधारी को सम्मन भी भेजा गया। उनके हाजिर नहीं होने पर पुनः निबंधित डाक से भी सूचना दी गई, पर भूधारी को पूरी जानकारी रहने के बावजूद उपस्थित नहीं हुए। विज्ञ भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, फारबिसगंज द्वारा बटाईदारी अधिनियम की प्रक्रिया अपनाते हुए समझौता बोर्ड का भी गठन किया गया नियमानुसार

छः माह तक समझौता बोर्ड का प्रतिवेदन प्राप्त नहीं होने के कारण समझौता बोर्ड से वाद को वापस ले लिया गया और वाद को नियमानुसार 6 गवाहों का गवाही के पश्चात् संतुष्ट होकर विज्ञ भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, फारबिसगंज द्वारा सही एवं विधि सम्मत आदेश पारित करते हुए विपक्षी को बटाईदार घोषित किया गया।

इनका यह भी कहना है कि विपक्षी को वाद सं0 127/1997–98 में विज्ञ भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, फारबिसगंज के पारित आदेश दिनांक 30.3.2005 के पश्चात् 48डी0 बी0टी0 एक्ट के तहत दाखिल वाद सं0 10/2006–07 में विज्ञ अंचलाधिकारी, नरपतगंज द्वारा जाँचोपरांत विपक्षी के शांतिपूर्ण दखल–कब्जा को पाते हुए दिनांक 18.6.2007 को प्रश्नगत भूमि का कायमी हक नियमानुसार प्रदान कर दी गई है। जिसके आधार पर विपक्षी को अद्यतन लगान रसीद प्राप्त होता आ रहा है। अपीलार्थी द्वारा वाद सं0 10/2006–07 अन्दर धारा 48डी0 बी0टी0 एक्ट में विपक्षी के पक्ष में दिनांक 18.6.2007 को पारित आदेश के विरूद्ध अपीलार्थी विज्ञ अनुमंडल पदाधिकारी, फारबिसगंज के न्यायालय में अपील वाद सं0 10/2008–09 दफा 48डी0 बी0टी0 एक्ट के तहत वाद दाखिल किया, जो दिनांक 24.7.2014 को खारिज हो चुका है।

अतः अपीलार्थी का दाखिल वर्त्तमान अपील वाद कालबाधित, भ्रामक है एवं निर्वहन योग्य नहीं है। विज्ञ भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, अररिया के पारित आदेश जो विधि सम्मत है, को बहाल रखते हुए अपीलार्थी के अपील आवेदन को खारिज करने का अनुरोध करते हैं।

उभय पक्षों के विज्ञ अधिवक्ताओं को सुनने, निम्न न्यायालय के अभिलेख का परिशीलन तथा संलग्न साक्ष्यों से स्पष्ट है कि विपक्षी द्वारा दाखिल बिहार काश्तकारी अधिनियम की धारा 48ई0 बी0टी0 एक्ट वाद सं0 127/1997–98 के पारित आदेश दिनांक 30.3.2005 के विरूद्ध अपीलार्थी द्वारा यह अपील वाद दिनांक 12.7.2007 लगभग दो वर्ष विलम्ब से दाखिल किया गया है। विज्ञ भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, फारबिसगंज का पारित आदेश 48ई0 बी0टी0 एक्ट के प्रावधानों के तहत पारित है। भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, फारबिसगंज द्वारा वाद के निपटारे हेतु उसे समझौता बोर्ड में अंचल अधिकारी, नरपतगंज को भेजा गया। छः महीने से अधिक की अवधि व्यतीत होने के बाद भी समझौता बोर्ड का प्रतिवेदन प्राप्त नहीं होने के कारण वाद की सुनवाई न्यायालय में की गई। प्रतिवादी (अपीलार्थी) लगातार अनुपस्थित रहें। फलतः आवेदक के दावे के संबंध में भूमि सुधार उप समाहर्त्ता द्वारा 6 गवाहों की गवाही ली गई तथा उनका बयान दर्ज किया। गवाहों के बयान के आधार पर भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, फारबिसगंज ने पाया कि आवेदक बैद्यनाथ बहरदार अर्पीलार्थी लोलानन्द दास वगैरह की भूमि पर बटाईदारी करते है तथा फसल बाँटकर भूस्वामी को देते है। भू–स्वामी जमीन किसी अन्य व्यक्ति के हाथ बिक्री करना चाहते थे और बेदखली की आशंका से बैद्यनाथ बहरदार द्वारा वाद 48E में दायर किया। भूमि सुधार उप समाहर्त्ता ने पाया कि आवेदक (बैद्यनाथ बहरदार)

लगभग 20–21 वर्षों से उक्त भूमि बटाईदारी करता है। अतः बिहार काश्तकारी अधिनियम 1885 की धारा 48E के तहत आवेदक बैद्यनाथ बहरदार को बटाईदार घोषित किया। तत्पश्चात् विपक्षी ने अंचल अधिकारी, नरपतगंज के न्यायालय में वाद सं0 10/2006–07 धारा 48D BT Act के तहत लाया। विपक्षी को वादग्रस्त भूमि का 48डी0 बी0टी0 एक्ट के तहत दिनांक 18.6.2007 को कायमी हक प्राप्त हो गया है। अंचल अधिकारी, नरपतगंज के समक्ष दाखिल 48डी0 बी0टी0 एक्ट के तहत वाद सं0 10/2006–07 में अंचलाधिकारी ने स्पष्ट रूप से लिखा है कि वादग्रस्त भूमि पर आवेदक (विपक्षी) दखलकार है तथा भूधारी के पास 10.00 एकड़ से अधिक भूमि है। साथ ही भूधारी विधवा या विकलांग नहीं है। इस प्रकार वादग्रस्त भूमि का कायमी हक दिनांक 18.6.2007 को प्रदान कर दी गई है, जिसका लगान रसीद विपक्षी को अद्यतन प्राप्त हो रहा है। जिसके विरूद्ध भी अपीलार्थी द्वारा विज्ञ अनुमंडल पदाधिकारी, फारबिसगंज के न्यायालय में 48डी0 बी0टी0 एक्ट अपील वाद सं0 10/2008–09 दाखिल किया, जो दिनांक 24.7.2014 को खारिज हो चुका है।

अतएव विज्ञ भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, फारबिसगंज के पारित आदेश को विधि सम्मत एवं न्यायोचित पाते हुए उसे बहाल रखते हुए अपीलार्थी के अपील आवेदन को अस्वीकृत किया जाता है।

पारित आदेश की प्रति एवं निम्न न्यायालय का अभिलेख भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, फारबिसगंज को अग्रेत्तर कार्रवाई हेतु भेंजे।

लेखापित एवं संसोधित

ह०—
अपर समाहर्त्ता,
अररिया

ह०—
अपर समाहर्त्ता,
अररिया

ज्ञापांक 108 /रा0(न्या0), अररिया, दिनांक 29/07/2017

प्रतिलिपि : भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, फारबिसगंज को बटाईदारी वाद सं0 127/97–98 (वैद्यनाथ बहरदार बनाम लीलानंद दास) मूल के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : अंचलाधिकारी, नरपतगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

29.7.17
अपर समाहर्त्ता,
अररिया

MIC Amin.